भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3208**
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**बिहार में जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी**

**†3208. श्री अरुण भारतीः**
**श्री राजेश वर्माः**
**डॉ. लता वानखेड़ेः**
**श्रीमती शांभवीः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने में प्राप्त वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) गत एक वर्ष के दौरान बिहार में ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित, जारी तथा उनके द्वारा उपयोग की गई कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) बिहार में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा 'हर घर जल' प्रमाण पत्र पाने वाले घोषित ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने बिहार के उत्तरी जिलों में बाढ़ अथवा दुर्गम भू-भाग के कारण जल वितरण नेटवर्क बिछाने में होने वाले बार-बार के विलंब को चिह्नित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) बिहार में स्थानीय पंचायतों द्वारा पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं के सतत् संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन

एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार मिशन के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

भारत सरकार अगस्त 2019 से बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जेजेएम-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संवर्धित परिव्यय के साथ जेजेएम का दिसंबर 2028 तक विस्तार करने और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है।

मिशन की शुरुआत में, बिहार राज्य में लगभग 3.16 लाख (1.89%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 1.57 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 19.07.2026 तक, राज्य के 1.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.60 करोड़ (95.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है। इसके अलावा, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्य द्वारा 737 नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख): वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार राज्य को कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवंटित या जारी नहीं की गई है।

(ग): जेजेएम-आईएमआईएस पर बिहार राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 741 ग्राम पंचायतों को हर घर जल के रूप में प्रमाणित किया गया है।

(घ): बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, उत्तर बिहार के कुछ जिलों में वार्षिक बाढ़, जलभराव, नदी मार्ग परिवर्तन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का खतरा रहता है, जो कभी-कभी पाइपलाइनों को बिछाने सहित जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यनिष्पादन को प्रभावित करता है। इस तरह की चुनौतियां आमतौर पर कोसी, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक और महानंदा जैसी प्रमुख नदियों से सटे जिलों में अनुभव की जाती हैं। राज्य विभाग इन चुनौतियों का समाधान उपयुक्त अभियांत्रिकी हस्तक्षेपों, कार्य आयोजना को संशोधित करने, जहां भी आवश्यक हो वहां ऊँचाई पर संरचनाओं का निर्माण, सुरक्षात्मक उपायों और योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए करीबी निगरानी के माध्यम से करता है।

(ङ) बिहार राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार, ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के सतत संचालन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इसमे शामिल है:

i. स्थानीय संस्थाओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण;
ii. एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से नियमित जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण;
iii. लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण और निगरानी; तथा
iv. सुरक्षित पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संचालन संबंधी मुद्दों में त्वरित सुधार।

इसके अलावा, वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समितियों (डब्ल्यूआईएमसी)/पंचायतों को फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण, जल उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण, जल आपूर्ति योजनाओं के कामकाज की निगरानी तथा जल चौपाल के आयोजन से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

*****